UPM0010064122026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1783/2026</u>

शंकर उम्र 22 वर्ष पुत्र बब्लू, निवासी एकता कालोनी, सरगम मेडिकल के पास, मण्डी समिति, थाना मझोला, जिला–मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–362/2026,
धारा–109(1), 115(2), 352, 351(3)
बी0 एन 0 एस 0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम,
थाना–मझोला, जिला–मुरादाबाद।

<u>09.06.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, आवेदक/अभियुक्त शंकर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–362/2026, अन्तर्गत धारा–109(1), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त शंकर की पत्नी/पैरोकार शिवानी पत्नी शंकर पुत्री ओमवीर द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, आवेदक/अभियुक्त शंकर का जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादिनी मुकदमा श्रीमती शिम्मी द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 10.04.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, वह शिम्मी पत्नी गौरव निवासी मौहल्ला एकता कालोनी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद स्थित नेपाल सिंह पुत्र अज्ञात के मकान सहपरिवार किराये पर रह रही है। नेपाल सिंह के मकान में ही सुनील शंकर, राधेश्याम पुत्रगण बब्लू दिवाकर भी किराये पर रहते हैं। दिनांक 09.04.2026 को समय रात्रि 09 बजे उसका पति गौरव पुत्र नेत्रराम अपनी ड्यूटी करके वापस घर आया और अपनी मोटर साइकिल खड़ी करने लगा, तभी सुनील शंकर व राधेश्याम तीनों भाइयो ने उसके पति को गाली देते हुये कहा कि तू रोज घर में सामने मोटर साइकिल खड़ी करके रास्ता बन्द कर देता है, आज तुझे इसका मजा चखाते है। तभी ये तीनों भाई लाठी–डन्डे व चाकू तथा तमन्चा लेकर उसके पति पर

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.06.09 17:49:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हमलावर हो गये। उसके पति की चीख पुकार सुनकर उसका भाई सुमित तथा मौसेरा भाई अनूप पुत्र चन्द्रप्रकाश तथा उसका भतीजा नितीन पुत्र धर्मेन्द्र, जो सब एकता कालोनी में रहते हैं, मौके पर आ गये और इन लोगों से उसके पति को बचाने का प्रयास किया, तभी इन तीनों ने एक राय होकर इन तीनों पर जान से मारने की नियत से चाकू लाठी से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और शंकर ने अपने हाथ में लिये तमन्चे से जान से मारने की नियत उसके पति व भाईयों पर फायर कर दिया, जिससे ये लोग बाल–बाल बच गये। फायर की आवाज सुनकर आस पडोस के लोगों को मौके पर आता देख, यह तीनों लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। फिर वह घायलों को लेकर थाने पर गये, जहां से उन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल मुरादाबाद भेजा गया, जहां पर इन तीनों का इलाज चल रहा है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण सुनील, शंकर व राधेश्याम के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा –115(2), 351(3), 352, 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, आवेदक को मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। घटना दिनांक 09.04.2026 रात्रि 09 बजे की बतायी गई है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10–04–2026 समय 17:52 बजे लिखाई गई है, जो 21 घण्टे देरी से लिखाई गई है। देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है। आवेदक द्वारा लाठी, चाकू व तमंचा से वार करना बताया गया है, जो कि झूठ व मनगढ़ंत है। वादी मुकदमा व आवेदक एक ही मकान में किराये पर रहते हैं। वादिनी ने उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढ़ंत व झूठे तथ्यों पर दर्ज करायी है। आवेदक ने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है, जो भी चोटे दर्शायी गयी हैं, वह फर्जी हैं। आवेदक के कब्जे से कोई तमंचा बरामद नहीं हुआ है, जो बरामदगी दिखायी गई है, वह पुलिस द्वारा फर्जी दिखायी गई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह–अभियुक्तगण सुनील व राधेश्याम की जमानत दिनांक 18.05.2026 को स्वीकृत हो चुकी है। आवेदक दिनांक 11.04.2026 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति गौरव, भाई सुमित, मौसेरे भाई अनूप व भतीजे नितिन को जान से मारने की नियत से चाकू, लाठी से वार किये हैं तथा तमंचे से फायर भी किये हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन

किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण, आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति गौरव, भाई सुमित, मौसेरे भाई अनूप व भतीजे नितिन को जान से मारने की नियत से चाकू, लाठी से वार किये जाने व तमंचे से फायर किये जाने तथा आवेदक की निशानदेही पर एक अदद देशी तमंचा 315 बोप एवं एक एदद खोखा कारतूस बरामद से सम्बंधित है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मौहल्ला एकता कालोनी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद स्थित नेपाल सिंह के मकान पर किराये पर रह रही है। नेपाल सिंह के मकान में ही आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण सुनील व राधेश्याम भी किराये पर रहते हैं। दिनांक 09.04.2026 को समय रात्रि 09 बजे वादिनी का पति गौरव अपनी ड्यूटी करके वापस घर आया और अपनी मोटरसाईकिल खड़ी करने लगा, तभी आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण सुनील व राधेश्याम ने उसके पति को गाली देते हुये कहा कि तू रोज घर में सामने मोटरसाईकिल खड़ी करके रास्ता बन्द कर देता है, आज तुझे इसका मजा चखाते हैं। तभी आवेद/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्त सुनील व राधेश्याम, लाठी–डन्डे व चाकू तथा तमन्चा लेकर वादिनी के पति पर हमलावर हो गये। वादिनी के पति की चीख–पुकार सुनकर वादिनी का भाई सुमित तथा मौसेरा भाई अनूप तथा भतीजा नितिन मौके पर आ गये और इन लोगो ने उसके पति को बचाने का प्रयास किया, तभी आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण ने एक राय होकर इन तीनों पर जान से मारने की नियत से चाकू, लाठी से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और आवेदक/अभियुक्त ने अपने हाथ में लिये तमन्चे से जान से मारने कि नियत उसके पति व भाईयों पर फायर कर दिया, जिससे ये लोग बाल–बाल बच गये अर्थात् प्रश्नगत मामले में किसी भी मजरूब को आग्नेयास्त्र की चोट कारित होना परिलक्षित नहीं होता है। मजरूब गौरव की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर दो साधारण प्रकृति की चोटे आना अंकित हैं। इसके अतिरिक्त मजरूब सुमित की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर कुल दो चोटे आना अंकित हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा चोट सं0–02 को निगरानी में रखते हुए एक्स–रे कराये जाने की सलाह दी गयी थी तथा रिपोर्ट में चोट सं0–01 साधारण प्रकृति की होना अंकित है। इसके अतिरिक्त मजरूब अनूप की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर कुल चार चोटे आना अंकित हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा चोट सं0–01, 02 व 03 को निगरानी में रखते हुए एक्स–रे कराये जाने की सलाह दी गयी थी तथा रिपोर्ट में चोट सं0–04 का साधारण प्रकृति की होना अंकित है। इसके अतिरिक्त मजरूब नितिन की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर कुल तीन चोटें आना अंकित हैं। रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा चोट सं0–03 को निगरानी में रखते हुए एक्स–रे कराये जाने की सलाह दी गयी थी तथा रिपोर्ट में शेष अन्य चोटों को साधारण प्रकृति की चोट

होना अंकित किया गया है। अभियोजन के अनुसार, दौरान विवेचना मजरूब अनूप द्वारा एक तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी थी कि अस्पताल द्वारा नितिन, सुमित व उसे (अनूप) को एक्स–रे करवाने के लिए सुझाव दिया गया था, परन्तु उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण, उन्होंने अपने एक्स–रे नहीं करवाये तथा वह लोग बिल्कुल ठीक हैं तथा एक्स–रे की जरूरत नहीं है। इस प्रकार, प्रश्नगत घटना में मजरूबान के केवल साधारण प्रकृति की चोटें कारित होना परिलक्षित होता है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन के अनुसार, सह–अभियुक्तगण सुनील व राधेश्याम की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त शंकर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0–75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0– 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अनिल कुमार–IV)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।
J.O. Code–UP6124